बिहार विधान परिषद

(197वां बजट सत्र)

17 मार्च, 2021

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी].

कुल प्रश्न 27

असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई

***245 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना शहर के अंतर्गत जल्ला स्थित हनुमान मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब अवस्थित है जिसमें सालोंभर प्राकृतिक रूप से पानी भरा रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त तालाब के भरने तथा उसे भरकर अवैध कब्जा कर व्यावसायिक भवन निर्माण की कार्रवाई कतिपय तत्वों द्वारा की जा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि यदि उक्त प्राकृतिक तालाब का सौंदर्यीकरण कर उसे विकसित कर दिया जाय तो बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वह एक बेहतरीन पर्यटन स्थल का रूप ले सकता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तालाब का अतिक्रमण तथा उसे भरकर व्यावसायिक निर्माण कार्यों में संलग्न असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

जमीन का निबंधन नहीं

***332 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गया जिले के गया शहर के वार्ड नं.- 30 में बिहार राज्य आवास बोर्ड की शहीद भगत सिंह कॉलोनी, मस्तकाबाद में दखल-कब्जा एवं एकरारनामा मिलने के बाद 80% लोगों ने अपना आवास बना लिया है किन्तु उनकी जमीन का निबंधन नहीं हुआ है;

(ख) यदि खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसी जमीन का निबंधन कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

कार्रवाई कब तक

***333 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि रियल स्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी, बिहार के द्वारा पटना में और पटना के आसपास के कई अर्द्धनिर्मित अपार्टमेंट को निबंधित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि बावजूद इसके बिल्डरों के द्वारा रेरा कानून के प्रावधानों/ नियम का उल्लंघन कर अर्द्धनिर्मित फ्लैटों का निबंधन कराया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि विशेषकर अनुआनन्द कंस्ट्रक्शन कम्पनी के द्वारा दानापुर-खगौल रोड में विजय सिंह पथ में साईं इन्क्लेव के नाम से कई अपार्टमेंट का निर्माण किया जा रहा है और उसमें से कुछ ब्लॉक को अब तक अर्द्धनिर्मित छोड़ दिया गया है जबकि बिल्डर के द्वारा उपभोक्ताओं से वर्ष 2013 में ही लाखों रुपये बुकिंग के नाम पर ले लिया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाएगी कि खंड 'ग' में वर्णित अर्द्धनिर्मित अपार्टमेंट का कब तक निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य 'रेरा' के द्वारा प्रदान किया गया है और इसमें विलम्ब के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध सरकार कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है?

अनुग्रह अनुदान की राशि

*334 **श्री संतोष कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, रोहतास एवं कैमूर):**

आपदा प्रबंधन :-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि श्री जीवछ मंडल, ग्राम+पोस्ट- चुनी, प्रखण्ड+थाना- मधेपुर, जिला- मधुबनी के 18 वर्षीय पुत्र श्री रमणजी मंडल के गांव में बाढ़ आने के कारण नदी में डूब जाने से मृत्यु हो गई थी, जिस संबंध में मधेपुर थाना कांड संख्या- 09120, दिनांक- 01.10.2020 अंकित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि बाढ़ के समय उफनती नदी में डूब कर मर जाने से राजकीय प्रावधान के आलोक में अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान करने की प्रखण्ड और अनुमंडल स्तर से आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतायेगी कि मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्त

*335 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर नगर के बागताज खां, पोखरा मोहल्ला में सुभाष चौक से उत्तर जाने वाली सड़क पुराना खेसरा नं.- 513, थाना नं.- 164 में पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सार्वजनिक सड़क को अतिक्रमित कर नये नक्शे में 513 को तीन टुकड़ों में खेसरा नं- 438, 437 एवं 436 में बांट दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त आम गैरमजरूआ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के कारण सड़क जाम की समस्या बनी रहती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

नाला एवं कलवर्ट का निर्माण

*336 **प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि दानापुर नगर परिषद् क्षेत्र के दोनों ओर पक्का नाला एवं गायतल चौराहा पर कलवर्ट का निर्माण नहीं होने के कारण हमेशा घरों का पानी सड़क पर बहता रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि गायतल चौराहा से ही उत्तर की ओर हांडी साहब का गुरुद्वारा जाने का एकमात्र सुगम रास्ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सार्वजनिक हित में क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित स्थानों पर पक्का नाला एवं गायतल चौराह पर कलवर्ट का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

कितनी राशि का ओ.टी.एस.

*337 **श्री सुनील कुमार सिंह (विधान सभा):**

सहकारिता :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि विभागीय स्तर पर सहकारिता बैंकों में NPA कम करने के लिए एक मुश्त समझौता OTS योजना चलाई जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार के सहकारिता बैंकों में कुल NPA कितनी है और यह कुल ऋण का कितना प्रतिशत है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अब तक कितनी राशि के OTS का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है एवं कुल कितनी राशि का OTS दिया जा चुका है तथा लक्ष्य क्या है?

कार्यपालक पदाधिकारी पर कार्रवाई

*338 **श्री रजनीश कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है बेगूसराय जिलान्तर्गत बखरी नगर पंचायत में सरकार द्वारा संचालित पक्की नाली-गली योजना के तहत वर्ष 2019-20 में 413 योजनाओं का चयन एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया;

(ख) क्या यह सही है कि बखरी नगर पंचायत के बोर्ड द्वारा अनुमोदन उपरांत नगर विकास विभाग के द्वारा उनमें से कुल 271 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई;

(ग) क्या यह सही है कि विभाग के द्वारा 271 योजनाओं की स्वीकृति के बाद भी कार्यपालक पदाधिकारी, बखरी नगर पंचायत ने मनमानेपूर्ण तरीके से 176 योजनाओं की ही निविदा प्रकाशित की जिसमें 165 योजनाएं ही संचालित हो रही हैं;

(घ) क्या यह सही है कि कार्यपालक पदाधिकारी के रवैये के कारण विभाग द्वारा स्वीकृत 271 में 106 योजनाएं ठंढे बस्ते में डाल दी गई हैं जिसके कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या विभाग बाकी 106 योजनाओं के निविदा एवं संचालन को मनमाने तरीके से रोकने वाले कार्यपालक पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

पर्चा वितरण कब तक

***339 श्री सुमन कुमार (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के रहिका प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम मकसूदा टोले मोहम्मदपुर अंतर्गत खेसरा- 1198 पुराना, 2448 नया पर बहुत से परिवार वर्षों से सरकारी जमीन पर दखल-कब्जा कर घर बनाकर रहते आ रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के रहिका अंचल अमीन ने जांचोपरांत अपने ज्ञापांक- 4074, दिनांक- 16/11/2015 के द्वारा खेसरा- 1198 पुराना, 2448 नया मौजा- मकसूदा में वर्षों से दखल- कब्जा कर घर बना कर बहुत से परिवार के रहने की जांच रिपोर्ट अंचलाधिकारी, रहिका को आगे की प्रक्रिया के लिए दी थी;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त खेसरा पर दखल-कब्जा कर रहते आ रहे परिवार अंतर्गत श्रीमती सुलेखा देवी, पति- लक्ष्मण चौपाल को वर्ष 2015 में रहिका अंचलाधिकारी द्वारा बासगीत पर्चा पर दस्खत कर आगे की कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को प्रेषित किया था;

(घ) क्या यह सही है कि मधुबनी अनुमंडल स्तर से उक्त परिवारों को बासगीत पर्चा के वितरण का कार्य वर्षों से लंबित है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्षों से खेसरा- 1198 पुराना, 2448 नया पर दखल-कब्जा कर घर बना कर रहते आ रहे परिवार को भूमि वितरण पर्चा मुहैया कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

व्यय का ऑडिट कब तक

***340 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

आपदा प्रबंधन :-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण राज्य में 20 मार्च, 2020 से लेकर बाद के दिनों तक कितने श्रमिक बिहार राज्य वापस आये हैं;

(ख) क्या यह सही है कि अप्रवासी श्रमिकों के लिए सरकार की ओर से भोजन एवं आवासन की व्यवस्था व्यापक पैमाने पर की गई थी;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाना चाहती है कि कुल कितने आश्रय स्थल श्रमिकों के लिए बनाये गये हैं, उनमें कितने श्रमिक आकर ठहरे तथा इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई एवं इस व्यय का ऑडिट सरकार के द्वारा कराया गया है या नहीं?

प्रमंडल का दर्जा कब तक

***341 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

सामान्य प्रशासन :-

क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय को प्रमंडल का दर्जा देने के लिए मंत्रेश्वर झा की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक समिति द्वारा प्रमंडल बनाने की संस्तुति की गई थी और विगत दो वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने बेगूसराय में प्रमंडल गठन से पूर्व पुलिस रेंज का कार्यालय खोला है और बेगूसराय और खगड़िया को इस रेंज में सम्मिलित करते हुए DIG का पदस्थापन किया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बेगूसराय को पूर्ण प्रमंडल का दर्जा देते हुए प्रमंडलीय आयुक्त का पदस्थापन करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक?

उद्यान का रख-रखाव

***342 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला का सीताकुंज नगर उद्यान, सीतामढ़ी, नगर एवं जिला निवासियों के लिए जीवन रेखा बन चुकी है, जहां प्रतिदिन प्रातः एवं संध्या में परिवार के साथ सैकड़ों लोग टहला करते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इस उद्यान में चहारदीवारी का उच्चीकरण, पर्याप्त जलापूर्ति, बच्चों के लिए खेल-कूद, विद्युतीकरण, आसन-प्राणायाम के लिए बेंच, भूमि का मिट्टीकरण, बागवानी का सौन्दर्यीकरण, तथा सुरक्षा आदि की वर्षों से व्यवस्था नहीं होने से उद्यान का जीवन एवं हरियाली का स्वरूप समाप्त हो गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'ख' में वर्णित समस्याओं का समाधान कर उद्यान को नवजीवन प्रदान करना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

मुख्य गेट का निर्माण

***343 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

पर्यटन :-

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत एन.एच 84 नया भोजपुर पकवा इनार मुख्य पथ है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थल पर राजा भोज के नाम से मुख्य गेट का निर्माण करने के लिए दिनांक- 14.12.17 को माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग को पत्र दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2018-19 में राजा भोज के नाम से मुख्य गेट बनाने का विभाग के पास प्रस्ताव लम्बित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक एन.एच 84 नया भोजपुर पकवा इनार मुख्य पथ पर राजा भोज के नाम से मुख्य गेट का निर्माण करने का विचार रखती है?

बकाया का भुगतान

***344 श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

निर्वाचन :-

क्या मंत्री, निर्वाचन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि2020 में सम्पन्न बिहार विधान सभा चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों एवं पुलिस बल को मतदान केंद्रों तक ले जाने तथा तत्पश्चात् मतगणना केन्द्र तक पहुंचाने हेतु नवादा जिला के विभिन्न पेट्रोल पम्पों द्वारा सरकारी कूपन पर ईंधन की आपूर्ति की गयी थी;

(ख) क्या यह सही है कि सामान्य मद में राशि की उपलब्धता के बावजूद पेट्रोल पम्पों को बकाया राशि का भुगतान 04 माह से लंबित है;

(ग) क्या यह सही है कि नवादा के जिला पदाधिकारी ने प्रश्नगत राशि के भुगतान हेतु सरकार से आवंटन की मांग की है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रश्नगत बकाया का भुगतान शीघ्र कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

मत्स्यपालन शामिल कब तक

***345 श्री अर्जुन सहनी (विधान सभा):**

आपदा प्रबंधन :-

क्या मंत्री,आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि किसान की फसल बाढ़ में क्षतिग्रस्त होने पर उनको क्षतिपूर्ति दी जाती है, परन्तु मछुआरों द्वारा पाली गई मछलियां बाढ़ में बह जाने पर किसी भी प्रकार का मुआवजा देने का प्रावधान Calamity Relief Fund के अन्तर्गत नहीं बनाया

गया है?;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार Calamity Relief Fund के अन्तर्गत मत्स्यपालन को शामिल करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

अनुमण्डल बनाने की कार्रवाई

*346 **श्री राजन कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):**

सामान्य प्रशासन :-
क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला में नवीनगर तथा रफीगंज प्रखंड अवस्थित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि प्रखंड में क्रमशः 23 से 25 पंचायतें जुड़ी हैं;

(ग) क्या यह सही है कि दोनों प्रखंडों को अनुमंडल बनाने से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की जनता को कार्य हेतु जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जिले के नवीनगर एवं रफीगंज प्रखंडों को अनुमंडल बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पर्चा मुहैया कबतक

*347 **श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिले के अमदाबाद प्रखंड अंतर्गत नदी के कटाव से विस्थापित परिवारों को भिन्न-भिन्न राजस्व मौजा में भूमि अर्जित कर वसोवासित कराया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि वसोवासित विस्थापित परिवारों को पर्चा (वैध राजस्व कागजात) नहीं दिए जाने से सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वे वंचित हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अर्जित भूमि पर वसोवासित परिवारों को पर्चा मुहैया कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक,

नहीं तो क्यों?

दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

***348 श्री सुबोध कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना नगर निगम के चितकोहरा में वार्ड नं.- 12 नहर पर से पंजाबी कॉलोनी तक एवं गणेश बाबू के घर से शिवपुरी चौक तक की सड़क का 6 (छः) माह पूर्व पी.सी.सी. किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उपर्युक्त सड़क में काफी घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया था जिसके कारण यह सड़क निर्माण के 6 (छः) माह बाद ही टूट कर जगह-जगह से उखड़ गई और पैदल चलने लायक भी नहीं रह गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण में हुई गड़बड़ी की जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पार्क का निर्माण

***349 सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत सिमरिया घाट उत्तर बिहार का एक गौरवशाली एवं भव्य घाट है, जहां श्रद्धालु भक्तों का सालों भर आना होता है, यहां प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कल्पवास का मेला भी लगता है;

(ख) क्या यह सही है कि सिमरिया घाट पर पार्क निर्माण की योजना विचाराधीन है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सिमरिया घाट पर पार्क निर्माण कार्य कबतक पूरा करने का विचार रखती है?

भुगतान कबतक

***350 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

निर्वाचन :-

क्या मंत्री, निर्वाचन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना के अन्तर्गत बिहार विधान परिषद् भोजशाला एवं बिहार विधान सभा भोजशाला के कर्मियों का कार्य आवश्यक कार्य के श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन कर्मियों को आम चुनाव, 2020 से पहले चुनाव कार्य में कभी नहीं लगाया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि पोलिंग पदाधिकारी नं- 02, दिनांक- 28.10.2020, पार्टी नं- 175, पिन नं- 2861058, विक्रमगंज विधानसभा क्षेत्र एवं पार्टी नं. 110 , करबिगहिया में दिनांक- 03.11.2020 को मतदान कार्य में सेवा दिया गया परन्तु खाता सं.- 30846932212 जो सही है, की जगह गलत खाता सं. अंकित कर दैनिक एवं यात्रा भत्ता की राशि का भुगतान कई महीनों तक लटका कर रखा गया। गलत खाता सं. सुधार हेतु सैकडों आवेदकों द्वारा आवेदन-पत्र देने के बावजूद, भुगतान नहीं हो सका है। सूचना के अधिकार से भुगतान एवं कार्रवाई से संबंधित सूचना मांगने पर पत्रांक सं.- 112/स्था., दिनांक- 09.01.2021 द्वारा उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना को भेजा जा चुका है एवं आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान का कोरा आश्वासन की सूचना दी गई, लेकिन अभीतक भुगतान नहीं हो सका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सैकडों चुनाव कार्य में लगाए गए कर्मियों एवं पिन नं.- 2861058 पोलिंग पदाधिकारी नं- 02, का जिनका खाता सं. गलत हो जाने के कारण भुगतान नहीं हो सका है, एवं उन सैकडों कर्मियों का खाता सं. सुधार कर भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पर्यटक स्थल के रूप में विकसित

*351 **श्री संजय प्रसाद (मुंगेर स्थानीय प्राधिकार):**

पर्यटन :-

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि लखीसराय जिले के प्रखंड चानन में श्रृंगी ऋषि धाम एवं ज्वालपा स्थान में हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं, श्रृंगी ऋषि धाम एवं ज्वालपा स्थान पहाड़ों के बीचों-बीच अवस्थित हैं जिसके कारण पर्यटकों में भय का माहौल बना रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि श्रृंगी ऋषि धाम एवं ज्वालपा स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने से पर्यटक एवं इलाके के लोगों में काफी खुशी होगी;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्रृंगी ऋषि

धाम एवं ज्वालपा स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पारिश्रमिक का भुगतान

***352 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

सामान्य प्रशासन :-

क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना स्थित हिन्दी भवन छज्जुबाग का प्रभार जिलाधिकारी, पटना के अधीन है तथा उसकी देखभाल एवं भवन के सामानों की रखवाली के लिए श्री रत्नेश कुमार को 2007 से ही रखा गया है एवं उनके पारिश्रमिक का भुगतान तत्कालीन जिलाधिकारी बी. राजेन्द्र नियमित रूप से करते थे;

(ख) क्या यह सही है कि 09.04.2008 से सितम्बर, 2015 तक हिन्दी भवन में चाणक्य प्रबंधन संस्थान चल रहा था तब से संस्थान ने अन्तिम माह तक रु. 11000 (ग्यारह हजार रु) की दर से प्रतिमाह पी.एन.बी के ए/सी. नं.- 292000108103356 के द्वारा बुद्धा कॉलनी ब्रांच से भुगतान किया था;

(ग) क्या यह सही है कि प्रबंधन संस्थान के सितम्बर, 2015 में अपने भवन में चले जाने के बाद जिला पदाधिकारी का कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय कार्यरत हैं और तब से रत्नेश कुमार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है जिसके लिए वे बार-बार जिलाधिकारी से अनुरोध कर चुके हैं लेकिन आश्वासन के बावजूद अभीतक भुगतान प्रारंभ नहीं किया गया है जिससे उनके परिवार में भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सितम्बर, 2015 से आजतक उनके पारिश्रमिक का भुगतान शीघ्र कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई

***353 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सीवान जिलान्तर्गत अंचल दरौली के ग्राम पंचायत किशनपाली के ग्राम देवरिया टोला में स्थित खाता- 526, खेसरा- 46, रकबा- 2 कट्ठा जमीन जिसका जमाबंदी नं.- 624, विद्यावती देवी के नाम से दर्ज है;

(ख) क्या यह सही है कि खण्ड (क) में वर्णित जमीन का राजस्व लगान कर्मचारी द्वारा राजस्व रसीद संख्या- 032368, दिनांक- 13.02.1975 काटने के बावजूद जमीन का पट्टा नहीं दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि वर्तमान में राजस्व कर्मचारी द्वारा विद्यावती देवी को पट्टा देने के नाम पर अवैध राशि ली गई है और उन्हें आजतक बराबर परेशान किया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दलित महिला विद्यावती देवी के जमीन का पट्टा सहित लगान रसीद निर्गत करते हुए राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

बस स्टैण्ड का निर्माण

***354 श्री राजेश राम (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा नगर पर्षद् अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि नगर पर्षद् क्षेत्रान्तर्गत बस स्टैण्ड नहीं होने के कारण मुख्य सड़क के किनारे यत्र-तत्र स्थानों पर बस खड़ा करने के कारण बराबर सड़क जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम-जनता को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बगहा नगर पर्षद् क्षेत्रान्तर्गत बगहा-2 में जनहित में बस स्टैण्ड का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

समय-सीमा के अन्दर निष्पादन

***355 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि डिजिटलाईज्ड जमाबंदी पंजी में अशुद्धि के सुधार एवं कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटी हुई जमाबंदी के डिजिटलाईजेशन हेतु परिमार्जन पोर्टल तैयार

किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि इस पोर्टल के माध्यम से रैयत डिजिटलाईज्ड जमाबंदी पंजी में अशुद्धि के सुधार हेतु ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि प्राप्त शिकायतों के निष्पादन हेतु सरकार द्वारा समय-सीमा निर्धारित है;

(घ) क्या यह सही है कि सरकार लगातार परिमार्जन पोर्टल की समीक्षा करती है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बताएगी कि इस पोर्टल के माध्यम से अबतक कुल कितने शिकायत प्राप्त हुए हैं, तय समय-सीमा के तहत कितने शिकायतों का निष्पादन हुआ है तथा कितने शिकायत लंबित है और लंबित रहने के कारण क्या हैं?

पथ की मरम्मती

***356 श्री राजेश कुमार उर्फ बबलु गुप्ता (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर नगर परिषद् में वार्ड नंबर- 15 में स्थित सरोजा सीताराम सदर अस्पताल शिवहर का पहुंच पथ अत्यधिक जर्जर होने के कारण उस पर चलने वाले एम्बुलेंस और अन्य वाहन अक्सर दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त पाईप पथ की मरम्मती कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नालों के ढक्कन

***357 श्री खालिद अनवर (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राजधानी, पटना के ज्यादातर बड़े-बड़े नाले अब भी खुले पड़े हैं, जिसके कारण रोजाना लोगों के जान-माल का नुकसान होता रहता है, नवम्बर 2018 में पुनाईचक नाले में गिरे एक दस वर्षीय बच्चे का शव गहन खोज के बावजूद नहीं मिल पाया;

(ख) यदि खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक नालों को ढकने

का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?